



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 19, 2011/पौष 29, 1932

No. 32]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 19, 2011/PAUSA 29, 1932

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2011

सा.का.नि. 41(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में पृष्ठ संख्या 1-77 पर प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 356(अ), दिनांक 7 जून, 2005 [खाद्य अपमिश्रण निवारण (चौथा संशोधन) नियमावली, 2005] और भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित शुद्धि-पत्र संख्या सा.का.नि. 706(अ), दिनांक 6 दिसम्बर, 2005, सं. सा.का.नि. 131(अ), दिनांक 3 मार्च, 2006, सं. सा.का.नि. 532(अ), दिनांक 5 सितम्बर, 2006, सं. सा.का.नि. 575(अ), दिनांक 5 सितम्बर, 2007, सं. सा.का.नि. 591(अ), दिनांक 13 अगस्त, 2008, सं. सा.का.नि. 805(अ), दिनांक 20 नवम्बर, 2008, सं. सा.का.नि. 117(अ), दिनांक 24 फरवरी, 2009, सं. सा.का.नि. 329(अ), दिनांक 15 मई, 2009, सं. सा.का.नि. 606(अ), दिनांक 28 अगस्त, 2009, सं. सा.का.नि. 175(अ), दिनांक 5 मार्च, 2010, और सं. सा.का.नि. 706(अ), दिनांक 27 अगस्त, 2010 के साथ पठनीय, पृष्ठ 2 पर नियम 1 के उप-नियम (2) को निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा,—

“(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नौ माह की अवधि के पश्चात् प्रवृत्त होंगे सिवाय नियम 2 के उप-नियम (ii) के खंड (क), खंड (च) के मद संख्या क. 11.02.06, क. 11.02.06.01, क. 11.02.06.02, खंड

(छ) के मद संख्या क. 11.02.07, क. 11.02.07.01, क. 11.02.07.02, क. 11.02.08 और खंड (ड) तथा परिशिष्ट ‘ग’ की सारणी-14 और परिशिष्ट ‘घ’ की सारणी-3 में उनसे संबंधित प्रविष्टियां, जो 31 जुलाई, 2011 को प्रवृत्त होंगे।”

[फा. सं. पी. 15014/7/2002—जन स्वास्थ्य (खाद्य) अनुभाग]

अरुण कुमार पण्डा, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 में संख्यांक का.नि.आ. 2106, दिनांक 12 सितम्बर, 1955 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सं. सा.का.नि. 652(अ), दिनांक 2 अगस्त, 2010 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 19th January, 2011

G.S.R. 41(E).—In the notification of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. G.S.R. 356(E), dated the 7th June, 2005, [Prevention of Food Adulteration (Fourth Amendment) Rules, 2005] published in Part II, Section 3, Sub-section (i) at pages 1-77 of the Gazette of India, Extraordinary and read with Corrigendum G.S.R. 706(E), dated 6th December, 2005, G.S.R. 131(E), dated 3rd March, 2006, G.S.R. 532(E), dated 5th September, 2006, G.S.R. 575(E), dated 5th September, 2007, G.S.R. 591(E), dated 13th August,

2008, G.S.R. 805(E), dated 20th November, 2008, G.S.R. 117(E), dated 24th February, 2009, G.S.R. 329(E), dated 15th May, 2009, G.S.R. 606(E) dated 28th August, 2009, G.S.R. 175(E), dated 5th March, 2010 and G.S.R. 706(E), dated 27th August, 2010 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, at page 44, sub-rule (2) of rule 1, shall read as follow,—

“(2) They shall come into force after nine months except clause (a), items No. A.11.02.06, A.11.02.06.01, A.11.02.06.02 of clause (f), items No. A.11.02.07, A.11.02.07.01, A. 11.02.07.02, A. 11.02.08 of clause (g) and clause (m) of

sub-rule (ii) of rule 2 and entries relating thereto in Table 14 of Appendix-C and Table 3 of Appendix-D, which shall come into force on 31st July, 2011.”

[F. No. P. 15014/7/2002-P.H. (Food)]

ARUN KUMAR PANDA, Jt. Secy.

Note :—The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part II, Section 3 of the Gazette of India *vide* S.R.O. 2106, dated the 12th September, 1955 and were last amended *vide* No. G.S.R. 652(E), dated 2nd August, 2010.